O/C

**समक्ष न्यायालय श्रीमान विशेष न्यायाधीश (पी.एम.एल.ए.), रायपुर, जिला- रायपुर (छ.ग.)**

**प्रवर्तन निदेशालय** .....अभियोगी संस्था

**विरूद्ध**

**चंद्र भूषण वर्मा** .....अभियुक्तगण

**असीम दास** .....आवेदक/अभियुक्त

**अप. क्र.: ECIR: ECIR/RPZO/10/2022** **पेशी दिनांक: 10.11.2023**

**आवेदक/अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा में लिए जाने पर आपत्ति बाबत**

आवेदक/अभियुक्त असीम दास की ओर से निम्नलिखित अनुसार प्रार्थना प्रस्तुत है:

1. यह कि आवेदक/अभियुक्त को अभियोगी संस्था द्वारा दिनांक 03.11.2023 को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था।
2. यह कि अभियोगी संस्था की अनुशंसा के आधार पर माननीय न्यायालय द्वारा आवेदक/अभियुक्त को दिनांक 10.11.2023 तक अभियोगी संस्था की अभिरक्षा में दिया गया था जिसके पश्चात से आवेदक/अभियुक्त अभियोगी संस्था की अभिरक्षा में निरूद्ध है।
3. यह कि आवेदक को दिनांक 03.11.2023 को कस्टोडियल रीमाण्ड में 07 दिनों के लिए ईडी की अभिरक्षा में दिया गया था। आवेदक को केवल ईडी कार्यालय में बैठा कर रखा गया है उससे अभिरक्षा में कोई पूछताछ नहीं की गई है न ही किसी अन्य व्यक्ति के सामने बैठा कर कोई पूछताछ की गई है। आवेदक को केवल खानापूर्ति के लिए कस्टोडियल रीमाण्ड में लिया गया है क्योंकि प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों को भी इस बात की जानकारी है कि आवेदक को प्रकरण के संबंध में कोई ज्ञान नहीं है एवं आवेदक से कोई साक्ष्य एकत्रित करने की उनहें अब कोई आवश्यकता नहीं है।

Arjun Das

4. यह कि आवेदक को निर्माण कार्य का कर्ता-धर्ता बनाने का प्रलोभन देकर फंसाया गया है आवेदक शुभम सोनी उर्फ पिंटू भैया जो आवेदक के साथ बचपन में क्रिकेट खेलता था और एक मोहल्ले में रहने के कारण पूर्व में आवेदक और शुभम अक्सर साथ रहते थे, काफी समय उपरांत शुभम सोनी ने आवेदक को फोन करके उसे दुबई घूमने का न्यौता दिया और आवेदक के लिए टीकीट भेजकर उसे दुबई बुलाया। आवेदक दुबई दिनांक 08.10.2023 को दुबई पहुंचा था तथा शुभम सोनी के कर्मचारियों ने आवेदक को 03 दिनों तक दुबई घुमाया और आवेदक को दिनांक 11.10.2023 को वापस भारत भेजवा दिया।

5. यह कि आवेदक को पुनः शुभम सोनी का फोन आया और दुबई आने को कहा जिसपर आवेदक दिनांक 25.10.2023 को दुबई गया था। दुबई पहुँचने के 02-03 बाद शुभम सोनी आवेदक से मिला और उससे यह कहा कि वह छत्तीसगढ में निर्माण कार्य का व्यवसाय करना चाहता है और क्योंकि आवेदक को वह बचपन से पहचानता इसलिए आवेदक पर भरोसा करके आवेदक को अगुआ बनाकर निर्माण कार्य का व्यवसाय करना चाहता है । आवेदक की शुभम सोनी से दुबई में केवल 15 मिनट की मुलाक़ात हुई उसके उपरांत शुभम सोनी का कोई कर्मचारी आवेदक का मोबाईल ले गया और आवेदक का मोबाईल जो सैमसंग कंपनी का था ले गया और 1-2 घंटे बाद आवेदक को एक नया आई-फोन 12 दिया और यह कहा कि यह शुभम की तरफ से उपहार है तथा आवेदक से यह कहा गया कि दिनांक 02.11.2023 को एयर-पोर्ट की पार्किंग में उसे चाबी लगी हुई ईनोवा कार क्रमांक CG 12 AR 6300 मिलेगी जो आवेदक के लिए ही है उसे लेकर वो होटल ट्रायटन चला जाए और कार को रोड में पार्क करके होटल में पहले से बुक रूम में वो आराम करे फिर उसे क्या करना है बताया जाएगा। आवेदक 10 बजे के आस-पास कार बाहर रखकर पहुँच गया था। रायपुर आने के उपरांत शुभम द्वारा बताए अनुसार 10 बजे के आसपास रायपुर पहुँचने के उपरांत आवेदक एयरपोर्ट से 10 बजे सीधे ट्रायतन होटल आ गया और अपनी गाड़ी ईनोवा को होटल ट्रायतन के बाहर पार्क कर दिया। आवेदक ने जब अपने मोबाईल को देखा तो बहुत से वाईस-रिकॉर्डिंग तथा शुभम का

Ashim Das

खुद का बनाया वीडियो भी आवेदक को दिए गए मोबाईल फोन में पहले से डाऊनलोड था।

6. यह कि आवेदक को लगभग 02.00-02.15 बजे एक फोन आया और आवेदक को नीचे होटल के मेन-गेट के बाहर बुलाया। एक व्यक्ति ब्लैक कलर की पल्सर बाईक में आया और आवेदक को एक पिट्ठू बैग दिया और एक कार्बन कंपनी का मोबाईल दिया और आवेदक से यह बोला कि इसमें जो फोन आ रहा है उसमें आप बात कर लो। आवेदक ने जब फोन उठाया तो फोन करने वाले व्यक्ति ने आवेदक से यह कहा कि तुम होटल रूम में मत जाओ बाहर गाड़ी में ही बैठो कोई सामान आएगा तो उसे गाड़ी में रख लेना फिर बताते हैं क्या करना है। उसने आवेदक से कहा की चिंता मत करो सब शुभम के बताए अनुसार हो रहा है।
7. यह कि आवेदक करीब आधा घंटा गाड़ी में रहा फिर उसे फोन आया कहाँ हो तो आवेदक ने कहा मैं गाड़ी में बैठा हूँ तो उसने कहा की मैं आ रहा हूँ गाड़ी अनलॉक करके रखना, फिर वो व्यक्ति आया और पीछे का दरवाजा खोलके 02 बैग उसमें रख दिया और आवेदक से यह कहा कि अभी और सामान आ रहा है अभी कहीं मत जाना, बैग रखने के उपरांत बैग से कुछ नोट के बंडल गिरे जिसे देखकर आवेदक घबरा गया और उसने ईनोवा के हैंड रेस्ट में जो बॉक्स है उसमें उन बंडलों को रख दिया। फिर आधे-पौन घंटे बाद आवेदक के पास फिर उसी का फोन आया और उसने कहा गाड़ी का दरवाजा अनलॉक करके रखना और फिर वो व्यक्ति आया और गाड़ी खोलके 03 बैग रख दिया और आवेदक से दोनों मोबाईल लेके आई-फोन का सिम निकालकर कार्बन के मोबाईल में दाल दिया और कार्बन के मोबाईल का सिम लेकर चला गया।
8. यह कि आवेदक को कुछ देर में उसके मोबाईल नंबर में फोन आया और यह कहा कि गाड़ी को होटल के बेसमेंट में पार्क करके रूम में चला जाए, सामान कहाँ छोडना है उसे बताया जाएगा। आवेदक को जब शंका हुई तो उसने कॉल करने वाले व्यक्ति से पूछा की ये सब अभी किसी ने पकड़ लिया तो ? इसको सुनने के बाद सामने वाले व्यक्ति ने कहा की शुभाम भैया के ही पैसे हैं और जब इलैक्शन कमीशन वालों को प्रॉबलम नहीं है तो तुम्हें क्यों हो रही है।

Asim Das

9. यह कि आवेदक के पास जब वो बेसमेंट में गाड़ी रख दिया था फिर फोन आया और उससे यह कहा गया कि उसके घर में भी कुछ रकम छोड़ी गई है तो आवेदक घबरा गया। उसने अपने बेटे को फोन किया और उससे यह कहा कि अपनी माँ को लेकर घर बंद कर चला जाए। आवेदक के पास फिर फोन आया और उससे यह कहा गया कि तुम फोन पर बात करते रहो, फोन बंद मत करो और सीधा रूम में जाओ, आवेदक काफी भयभीत हो गया और जैसा उसे कहा जा रहा था आवेदक वैसा कर रहा था। आवेदक फोन में बात करते-करते लगभग अपने रूम नंबर 311 में पहुंचा और फोन करने वाले को बताया कि रूम में पहुँच गया है तो उसने कहा कि अब फोन बंद कर दो, सामान कहाँ पहुंचाना है तुम्हें थोड़ी देर में बताएँगे।

10. यह कि 02-03 मिनट के बाद ही आवेदक के रूम घंटी बजी और हरे रंग की टी-शर्ट पहना एक व्यक्ति जिसके बारे में आवेदक को बाद में जानकारी हुई की वह ठंडी लाल मीना थे, उनके द्वारा आवेदक को कहा गया कि "हाँ बेटा ! सारा सामान रख लिया?" उसकी बातों से यह लग रहा था कि मानो उन्हें सब कुछ पता हो। ठंडी लाल मीना ने आवेदक से कहा कि ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा बयान तैयार है। तब वहाँ 02 महिलाएं, और 03-04 और व्यक्ति मेरे रूम में पहुँचें और मुझसे यह पूछा कि गाड़ी में रकम किसकी है तो मैंने उनसे यह कहा कि मैं केवल शुभम सोनी के निर्देश पर काम कर रहा हूँ और गाड़ी में रखी रकम शुभम सोनी जिन्हें मैं पिंटू भैया कहता हूँ उन्ही की है और फिर उन्होने फिर पूछा गाड़ी की चाबी कहाँ है पुछे और मुझे नीचे चलने को कहा, मैंने उनसे पूछा आप कौन है तो उन्होनें कहा की हम ईडी के अधिकारी हैं, और और मुझे लेकर नीचे होटल की पार्किंग में गए वहाँ पहले से ही 02-03 ईडी के अधिकारी खड़े थे और उन लोगों ने ही कार के अंदर से बैग खोलकर रकम निकाली और कार्यवाही की। उसके उपरांत आवेदक को ईडी कार्यालय ले गए और रात भर कुछ नहीं किया, दूसरे दिन सुबह आवेदक से अँग्रेजी में कुछ टाईप किए हुए कागजों में आवेदक से हस्ताक्षर करवाए और आवेदक उसमें क्या लिखा है यह पढ़कर नहीं बताया। आवेदक बारहवीं तक पढ़ा है, अँग्रेजी ठीक से नहीं पढ़ पाता,

Ashim Das

मगर ईडी कार्यालय के वातावरण से आवेदक घबरा गया था और उसने ईडी के अधिकारियों के दबाव में उन दस्तावेजों में हस्ताक्षर कर दिया।

11. यह कि उपरोक्त बातों को आवेदक ने ईडी के अधिकारियों को बता दिया था परंतु ईडी के अधिकारियों ने क्या लिखा है आवेदक को इसका ज्ञान नहीं है। आवेदक ने केवल शुभम सोनी के बारे में बताया है क्योंकि ईडी के अधिकारी आ गए थे तो फोन करने वाले व्यक्ति ने आवेदक को यह भी नहीं बताया कि उसे रकम कहाँ देना है। आवेदक को केवल यह ज्ञान है कि शुभम सोनी उससे निर्माण कार्य कराने के लिए अपने साथ रखा है और छत्तीसगढ का व्यवसाय उसके देखरेख में होगा इसलिए आवेदक बहुत खुश था, आवेदक को अब यह अहसास हो रहा है कि उसे प्लानिंग करके किसी उद्देश्य से आवेदक को प्रलोभन देकर आवेदक को फंसाया गया है। आवेदक किसी बघेल के लिए कोई राशि लेकर नाही आया था, उसे केवल यह पता था की उसे मिलने वाली राशि शुभम की निर्माण कंपनी खोलने में उपयोग होने वाली है।

12. यह कि आवेदक को यह नहीं समझ पा रहा है कि आखिर शुभम सोनी आवेदक को झूठा फँसाने की कोशिश क्यों करेगा, सभी भली-भांति जानते हैं कि महादेव एप के मालिक चंद्राकार और उप्पल हैं जिनसे आवेदक का कोई लेना-देना नहीं है।

13. यह कि शुभम सोनी को आवेदक पूर्व से जानता है, शुभम सोनी का भा॰ज॰पा॰ के पूर्व पार्षद से बहुत घनिष्ठ संबंध है और भिलाई के पूर्व विधायक प्रेम प्रकाश पाण्डेय के लिए शुभाम सोनी काम करता था और उन्हीं के साथ वो डॉ॰ रमन सिंह के बंगले पूर्व में जाता था। में क्योंकि आवेदक एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार का है, पहले उसे दुबई बुलाकर वहाँ की चका-चौंद दिखाकर आवेदक के मस्तिष्क में प्रभाव डाला और जब उसे लगा कि आवेदक उसके सम्मोहन में आ गया है तो उसने आवेदक को गाड़ी देके, उक्त गाड़ी में रकम रखवा के शुभम सोनी अपने उद्देश्य में सफल होने के लिए आवेदक को इस प्रकरण में फंसाया है और आवेदक का उपयोग लाभ प्राप्त करने के लिए किया है।

Ashish Das

14. यह कि आवेदक केवल शुभम सोनी को जानता है, उसने किसी अन्य का नाम रकम के संदर्भ में ईडी को नहीं बताया है। आवेदक को ऐसा प्रतीत हो रहा है कि राजनैतिक लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से आवेदक उपयोग किया जा रहा है।

15. यह कि आवेदक कभी भी किसी राजनैतिक पार्टी के नेताओं के पास पैसे छोडने नहीं गया है।

16. यह कि आवेदक से कोई पूछताछ नहीं हो रही है, उक्त बात का समर्थन ईडी ऑफिस में लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज से हो सकती है।

17. यह कि आवेदक माननीय न्यायालय से प्रार्थना करता है कि आवेदक की अभिरक्षा अभियोगी संस्था के पास न बढ़ाई जाए।

## प्रार्थना

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में माननीय न्यायालय से प्रार्थना है कि"

i. ईडी द्वारा पेश किए गए रिमांड आवेदन को निरस्त किया जावे;

ii. दिनांक 02.11.2023 से 03.11.2023 तक ट्रायतन होटल की लॉबी, आवेदक के कमरे के आस-पास की जगह एवं पार्किंग की सीसीटीवी फुटेज की रिकॉर्डिंग मँगवाई जावे एवं उसकी एक प्रति मुझे भी प्रदान की जावे;

iii. आवेदक के सैमसंग के मोबाईल नंबर का समस्त कॉल रिकॉर्ड निकालने एवं माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करने हेतु निर्देशित किया जावे।

**आवेदक/अभियुक्त**

**मो॰नं॰** 8269610099

**रायपुर(छ॰ग॰)**

**10.11.2023**

अधिवक्ता

**वास्ते आवेदक**